**संख्या- 305/2024/658/41-1-2024/001-CN-1763462-2023**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश मशासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 7 मार्च, 2024

विषय:-वर्ष 2023-24 में अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि को अनुदान हेतु अवशेष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8856/15-1-1803/ट्रे०ट्रे०/2023-24, दिनांक 16.02.2024 का कृपया सन्दर्भग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के आयोजन हेतु शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रू० 5000.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 833.33 लाख के सापेक्ष रू० 835.25 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपनिदेशक पर्यटन/सचिव, अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि समिति, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र दिनांक 13-02-2024 को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-983/202/5491/41-2023/001-CN. 1763462 2023, दिनांक 30-12-2023 द्वारा धनराशि रू० 5000.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 833.33 लाख (रू० आठ करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि मण्डलायुक्त, अयोध्या के निवर्तन पर रखी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विलीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-44 के लेखा शीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-अयोध्या सरंक्षण एवं विकास निधि हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 5000.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 833.33 लाख (रू० आठ करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि मण्डलायुक्त, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2020 तथा पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-983/202/5491/41-2023/001-CN.1763462-2023, दिनांक 30-12-2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यप करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यप करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्1-2/2023/वी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यप किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ना में विज्ञ विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्क्षित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय चन व्यप करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रसार-12 में दी गयी बातों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोटों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

4-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,33,33.000 (रुपये आठ करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष-3452808001100 अयोध्या सरंक्षण एवं विकास निधि हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5-यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-7-572-2023-24, दिनांक 05-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. जिताधिकारी, अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।